खेतड़ी ठिकाने में भूमि संबंधी अधिकार

डॉ0 सपना चौहान

कोटपूतली परगना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1803 में इस्तमरार पर और 1806 में मुक्त उपहार के रूप में राजा अभय सिंह बहादुर को दिया गया था। इस कारण इस परगना पर खेतड़ी को जमींदारी अधिकार प्राप्त थे। ठिकाने के अन्य भाग के लिये खेतड़ी ठिकाना सामान्यतः जयपुर रियासत को लगान चुकाया करता था। इस अर्थ में वह कोटपूतली को छोड़ कर ठिकाने के शेष भाग पर सीमित स्वामित्व का उपभोग करता था। इस प्रकार कोटपूतली परगने का अधिकारिता और प्रशासनिक प्रभाव के रूप में ठिकाने के अन्य भागों से भिन्नता थी। इस ठिकाने का नियमित बन्दोबस्त सन् 1889 में टकर के द्वारा किया गया। इससे पहले वहाँ पर राजस्व व्यवस्था के रूप में ठेका व्यवस्था का प्रचलन था। टकर ने अपने बन्दोबस्त में बम्बई के क्षेत्र से क्षेत्र बन्दोबस्त को अपनाया जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की नाप की गई, पृथक नम्बर दिये गये और उनकी अलग अलग श्रेणी में बांट कर उन्हे जमींदार के नाम पर अंकित किया गया। इस प्रकार कोटपूतली परगना में जमींदारी अर्थात् विश्वेदारी व्यवस्था लागू की गई।